न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 16/21 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/236

उनवान

जीतेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सिनसिनी तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी सिनसिनी तहसील डीग जिला भरतपुर।
.....असल रेस्पोंडेंट।
2. पूनम पुत्री ओमप्रकाश पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी सिनसिनी तहसील डीग जिला भरतपुर हाल निवासी अंगई पोस्ट दाऊजी जिला मथुरा।
3. यदुवीर पुत्र खेम सिंह
4. संतोष सिंह पुत्र खेम सिंह
5. महेश सिंह पुत्र खेम सिंह

} जाति जाट निवासी सिनसिनी तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, डीग दिनांक 30.03.2021 उनवानी जीतेन्द्र बनाम ओमप्रकाश मु0न0 167/17

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री मुकेश कुमार उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री अनिल कुमार गुप्ता, श्री हरीश जैन उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 11.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के आदेश दिनांक 30.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी अपीलाण्ट व अप्रार्थी रैस्पो0 के पिता बाबा चेतराम के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर पहले प्रार्थी अपीलाण्ट के बाबा चेतराम अपने जीवनकाल तक वहैसिहयत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रह कर निरन्तर काश्त करता रहा और बाबा के फौत हो जाने के बाद आराजी मुतदाविया पर अपीलाण्ट व रैस्पो0 वहिस्सा बराबर काबिज रह कर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं और आज भी मौके पर काबिज काश्त हैं। आराजी प्रार्थी अपीलाण्ट की पैतृक व पुस्तैनी आराजी है। प्रार्थी अपीलाण्ट का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा है। प्रार्थी अपीलाण्ट के पिता यानि ओमप्रकाश आसाम में रहता है और वही पर नौकरी करता है उन्होंने कभी प्रार्थी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 की परवरिश नहीं की, प्रार्थी अपीलाण्ट की माता ही हमारी परवरिश करती है। प्रार्थी अपीलाण्ट के बाबा काफी वृद्ध थे और बीमार रहते थे। जिसकी सेवा सुसर प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा की गयी। जिससे खुश होकर प्रार्थी अपीलाण्ट के बाबा ने अपने जीवनकाल में ही एक दानपत्र प्रार्थी अपीलाण्ट के हक में तहरीर कर तस्दीक करा दिया और मौक पर हिस्सा 1/2 पर कब्जा प्रार्थी अपीलाण्ट को दे दिया। परन्तु अप्रार्थी रैस्पो0, प्रार्थी अपीलाण्ट को नुकसान पहुॅचाने के उद्देश्य से बिना जरूरत जायज के आराजी जो बाबा चेतराम के सम्पूर्ण हिस्से पर अपना नाम दर्ज कराकर दीगर लोगो को रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी देता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का कतई अवलोकन नहीं किया और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर कतई अवलोकन नहीं किया मात्र कयास के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो कि अपीलाण्ट के बाबा से विरासत में प्राप्त हुयी है। जमाबन्दी संवत 2070 में विवादित आराजी पर विरासत का नोट लगा हुआ है। रैस्पो0 विवादित आराजी को विक्रय करने पर तुले हुये हैं। अपीलाण्ट के बाबा चेतराम ने अपीलाण्ट को अपनी संपूर्ण आराजी में से 1/2 हिस्सा का दानपत्र कराया। अपीलाण्ट का पिता ओमप्रकाश गॉव सिनसिनी में निवास नहीं करता है। सहमति से बॅटवारे होने के कोई हस्ताक्षर नहीं है। पिता के साथ अपीलाण्ट का कोई बॅटवारा नहीं हुआ। दान पत्र को कही चुनौती नहीं दी गयी है। केवल बाबा चेतराम की आराजी पर ही झगडा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की गयी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बोलता हुआ आदेश नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2012(1) पेज 626, 2009(1) पेज 140 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 संख्या 01 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। रैस्पो0 शुरू से ही आसाम पुलिस में नौकरी करता है। अपीलाण्ट ने दिनांक 17.08.2011 को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र, चेतराम की सहमति से पैतृक आराजी में से उनके हिस्से से अधिक आराजी हस्तांतरित करवा दी। अपीलाण्ट को उनके हिस्से से अधिक आराजी दी जा चुकी है। अतः अपीलाण्ट का विवादित आराजी में अब कोई हिस्सा शेष नहीं बचता है। बॅटवारा सभी हिस्सेदारो की सहमति से हुआ है। अपीलाण्ट ने दान पत्र से आई आराजी का कही भी उल्लेख नहीं किया है। सभी तथ्यो को छुपाया है। अपीलाण्ट ने दिनांक 20.07.2023 को प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये मात्र 1914 व 6278/135 को ही विवादित माना तथा उन पर ही रिलीफ चाही है। परन्तु अपीलाण्ट उक्त नम्बरो पर भी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि अपीलाण्ट बॅटवारे में सारे अधिकार छोड चुका है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 02 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 संख्या 02, ओमप्रकाश की पुत्री है। जिसका विवादित आराजी में पुत्र के ही समान अधिकार है। पुत्री का हिस्सा कहॉ है, ना तो बॅटवारे में बताया ना ही जमाबन्दी में ही कोई हिस्सा अंकित हैं। इस प्रकार रैस्पो0 संख्या 02 को कोई हिस्सा नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावे में अभी हिस्से तय होने हैं। अतः रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

6. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 01 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 02 व अपीलाण्ट ने मिलकर दावा प्रस्तुत किया एवं विवादित आराजी के बॅटवारे एवं दानपत्र के तथ्य को छुपाया है, जब तक दानपत्र निरस्त नहीं हो जाता तब तक पूनम को भी अधिकार नहीं है। स्थगन की अपील अपीलाण्ट ने की है। पुत्री ने नहीं की जबकि स्थगन रैस्पो0 संख्या 02 का भी खारिज हुआ है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2070–73 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का बॅटवारा इन्तकाल नम्बर 2990 से सहमति के आधार पर हुआ है। जिसमें अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 797, 1025 किता दो रकवा 0.39 है0 दिया गया है एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 1914 रकवा 0.39 है0 व अस्पष्ट खसरा नम्बर परन्तु जितना पढने में आ पाया 6309/135 रकवा 0.14 है0 ओमप्रकाश को दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने पूर्व में सहमति से हुये बॅटवारे एवं दानपत्र को अपने वाद पत्र में छुपाया है। विवादित आराजी में अपीलाण्ट को उनके बाबा द्वारा निष्पादित दान पत्र से पूर्व में ही हिस्सा मिल चुका है। इस प्रकार प्रार्थी अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रकरण,

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में अधिक पुष्ट होती है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय दिनांक 30.03.2021 यथावत रखें जाते हैं एवं न्यायालय हाजा जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.01.2022 निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 11.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11.10.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर